

59

न्यायालय श्रीमान् सदस्य, राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प रीवा, (म.प्र.)

निगरानी 2129-11-15



Rs. 20/-

137  
14-5-15

कौशल प्रसाद तनय स्व. श्री शिवबालक राम, निवासी ग्राम बड़खड़ा, तहसील चुरहट, जिला सीधी, (म.प्र.)

..... निगरानीकर्ता/आवेदक

**बनाम**

तेजभान सिंह तनय श्री राजभान सिंह बघेल, निवासी ग्राम बड़खड़ा, तहसील चुरहट, जिला सीधी, (म.प्र.) हाल निवासी प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चुरहट, जिला सीधी, (म.प्र.)

..... गैर निगरानीकर्ता/अनावेदक

श्री. योगेश्वर सिंह  
द्वारा आज दिनांक 14.5.15 के  
प्रस्तुत किया गया।

सीडर  
सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक 5513

रजिस्टर्ड पो आज

दिनांक 14.5.15 प्राप्त

निगरानी विरुद्ध आदेश तहसीलदार, तहसील चुरहट, जिला सीधी, (म.प्र.) के प्र.क्र. 11/ अ-5/2014-15 आदेश दिनांक 30.03.2015  
निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959


प्रकरण का सूक्ष्म विवरण निम्नलिखित है :-

राजस्व मण्डल ग्वालियर

1.

यह कि आराजी खसरा नं. 7 रकबा 1.18 हेक्टे. एवं 11 रकबा 0.59 हेक्टे. स्थित ग्राम बड़खड़ा, तहसील चुरहट, जिला सीधी है जिसमें भूमि स्वामी आवेदक/निगरानीकर्ता एवं उसके चचेरे भाई अंजनी प्रसाद तिवारी संयुक्त रूप से थे। आवेदक एवं उसके भाई अंजनी प्रसाद के बीच अर्सा पूर्व आपसी मौखिक बंटवारा हो गया जिसमें आवेदक को खसरा क्र. 11 का सम्पूर्ण रकबा 0.59 ए. एवं खसरा क्र. 7 का रकबा 0.030 हेक्टे. रकबा हिस्से में प्राप्त हुआ। आवेदक को जो खसरा क्र. 11 प्राप्त हुआ उसमें

R. 2129-दे। 15 लक्ष

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अ. भाषकों आदि के हस्ताक्षर
19.7.12	1- आवेदक की ओर से ली लोकेरा सिंह एडव. उप.। 2. आवेदक अभिभाषक द्वारा तब के लिये तदप चाहा तदप दिया गया। 3- वास्ते कोपनी पट टब. पेशी तारीख 25-10-17	N.F. 25-10-17 
(12)	25.10.17- 1- अधिवक्ता गण को सूचित किया गया है। 2- वास्ते प्रकरण पूर्ण है। पेशी तारीख 19-12-17, आज्ञा से रीडर	
(15)	1- स्थापित पेशी दिनांक 27-12-17 भिन्न की गयी।	
19-12-17  27/11/17	आवेदक अभिभाषक श्री- लोकेरा सिंह उपरिचय से आगे- अंगुशोप विधानमा है कि वह पदको से आगे नहीं चलाया चाहते हैं। अतः आगे नहीं चलाये के कानून प्रकलन द्वारा सन- 19 समान किया जाता है।	माल अद्वैत कल- योनि चाहते A.K. Sur 27-12-17